



डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

पत्रांक संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/अनापत्ति/2020/734

दिनांक : 29-02-2020

अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012- 2(166)/2012 दिनांक: 09 अगस्त, 2012 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा शासनादेश दिनांक: 14 नवम्बर 2014 के क्रम में अनापत्ति समिति की बैठक दिनांक 29 फरवरी 2020 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी आर0एस0वी0 एजूकेशनल ट्रस्ट सफदरगंज, पोस्ट-सफदरगंज, बाराबंकी द्वारा प्रस्तावित इं0 आर0एस0वी0 महाविद्यालय, सफदरगंज, बाराबंकी, को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, गृहविज्ञान, हिन्दी, सैन्यविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र तथा एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एस-सी0 वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, तथा जन्तु विज्ञान विषय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों/अभिलेखों के कार्यालयी परीक्षण एवं शासनादेश दिनांक 09.08.2012 के क्रम में जिलाधिकारी जनपद बाराबंकी, के पत्रांक 820/पाँच-भू0व्य0-अनापत्ति/2020 दिनांक 25 फरवरी 2020 के आधार पर शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. यह अनापत्ति सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की भूमि सम्बन्धी राजस्व अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट/संस्तुति दिनांक 25.02.2020 के आधार पर निर्गत की जा रही है। तथापि महाविद्यालय के नाम भूमि के विधितः अंकित होने एवं भूमि/गाटों की संयुक्तता आदि के विसंगति की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।
2. इस अनापत्ति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का संचालन ग्राम सफदरगंज, परगना प्रतापगंज, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी, स्थित खतौनी 1426 तथा 2431 की खाता संख्या 351,42,604,529, व 43 पर अंकित गाटा संख्या 720/0.424, 717/0.163, 718/0.150, 707/0.168 व 707मि0/321हे0 कुल भूमि 1.226 हे0 पर राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा याचित विषयों/पाठ्यक्रमों में मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन होने के उपरान्त ही सम्बद्धता प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।
4. महाविद्यालय के सम्बद्धता हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन हेतु आवेदन, निरीक्षण एवं अन्य कार्यवाहियों दिनांक: 14 नवम्बर 2014 द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। शासनादेश द्वारा निर्धारित अवाधि के उपरान्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पडने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार से किसी प्रकार की सहायता/राज सहायता की मांग नहीं की जायेगी।
6. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
7. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2(0166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।

8. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ०प्र० शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
9. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
10. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
11. शासनादेश संख्या 09.08.2012 के अन्तर्गत प्राप्त अनापत्ति पर सम्बद्धता प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय द्वारा इस शर्त को सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रचलित वर्ष के 31 दिसम्बर (सत्र 2020-21 हेतु 10 जनवरी 2020) के पश्चात् प्राप्त होने वाले अनापत्ति/निर्वाधन (क्लियरेंस) अगले शिक्षण सत्र के अनुगामी शिक्षण सत्र से देय होगी।
12. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
13. संस्था द्वारा महाविद्यालय की भूमि का नजरी नक्शा सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रस्तुत करने पर अनापत्ति आदेश सम्पुष्ट समझा जायेगा, अन्यथा की स्थिति में इस अनापत्ति के आधार पर सम्बद्धता की कार्यवाही विचारणीय नहीं होगी।

भवदीय

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, ई० आर०एस०वी० महाविद्यालय, सफदरगंज, बाराबंकी।
3. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. पत्रावली।

उप कुलसचिव
21/7/20